हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लि0 पंचकुला।

हरियाणा राज्य की कृशि भूमि का एक बड़ा हिस्सा कल्लर भूमि होने के कारण उपजाउ नही रहां था इसलिए कल्लर भूमि का सुधार करना आवष्यक है।

भूमि सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने के उदेष्य से हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम की स्थापना 27 मार्च, 1974 को हुई। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम देष की सबसे पहली निगम है जो भूमि सुधार का कार्यक्रम विस्तार से कर रही है। निगम का मुख्य उदेष्य कल्लर भूमि का सुधार व कृशि उत्पादन का बढ़ाना है। निगम द्वारा किये जाने वाली मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैः—

— कल्लर भूमि का सुधार करना।
— कृशि सामग्री की बिक्री करना।
— हिसार फार्म व अन्य कृशि फार्मों पर उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन करना।

<u>जिप्सम की बिक्री</u>

(क) <u>भूमि सुधार स्कीम के तहत कल्लर भूमि का सुधार</u>

निगम कृशि विभाग हरियाणा की देखरेख में भूमि सुधार स्कीम के तहत (मैक्रो मैनेजमैंट मोड) कल्लर भूमि का सुधार करती है। इस स्कीम के तहत कृशको को जिप्सम 50प्रतिषत अनुदान पर दी जाती है। अनुदान राषि का खर्च भारत सरकार व राज्य सरकार में 90:10 अनुपात से खर्च होता है। जिप्सम की प्रतिटन कीमत 1800रू0 है और 50 प्रतिषत अनुदान पर कृशक को 50 किलो का एक बैग 45रू0 में दिया जाता है। निगम ने वर्श 1974 से मार्च 2007 तक हरियाणा राज्य की 306563 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया है। हरियाणा के किसानों को जिप्सम 113 डीलर व 18 निगम के बिक्री केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) <u>राश्ट्रीय तिलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम (आईसोपोम)</u>

भूमि सुधार स्कीम के अतिरिक्त राश्ट्रीय तिलहन बीज योजना स्कीम के तहत भी जिप्सम किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। इस स्कीम के तहत किसानों को जिप्सम 68प्रतिषत अनुदान पर तिलहन फसलों में सल्फर की कमी की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती है जिसका खर्चा भारत सरकार व राज्य सरकार 75:25 अनुपात से खर्च करती है। आईसोपोम स्कीम के तहत 50 किलोग्राम का जिप्सम का बैग 28.30रू0 में दिया जाता है। जिप्सम बिक्री व भूमि सुधार के 5 वर्शों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	जिप्सम बिक्री (टनों में) भूमि सुधार स्कीम	जिप्सम बिक्री (टनों में) आईसोपोम स्कीम	भूमि सुधार का क्षेत्र हैक्टेयर में
2002—03	82660	26387	16480

2003–04	60975	30819	12192
2004–05	67645	39868	13506
2005–06	64437	38713	13254
2006–07	54850	35364	11808
2007–08 फरवरी तक	36762	43358	7738

कृषि उत्पादों की बिक्री

निगम अपने बिक्री केन्द्रों पर खाद, खरपतवार नाषक एवं कीटनाषक दवाईयों का कार्य भी कर रही है। इन कृषि उत्पादो की बिक्री कृषि विभाग हरियाणा की स्टाकिंग प्लान/एलोकेषन तथा किसानों की मांग अनुसार की जाती है। इस समय खाद, खरपतवार व कीटनाषक दवाईयों पर अनुदान उपलब्ध नही है। निगम फिर भी किसानों की मांग अनुसार इनकी स्टाकिंग तथा बिक्री कर रही है।

हिसार फार्म पर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम

निगम के पास हिसार में 1419 एकड का एक बीज फार्म है जिसकी कृशियोग्य भूमि 1287 एकड है। यह फार्म 1.7.1976 को सरकार द्वारा निगम को उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन हेतु स्थानांतरित किया गया था। इस फार्म पर निगम द्वारा धान, कपास, मूंग, कपास, गन्ना,गेहूं, राया, चना तथा जौ इत्यादि के उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मांग अनुसार तथा हरियाणा बीज विकास निगम से सलाह–मसवरा के उपरांत उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन किया जाता है। निगम सारे का सारा फाउंडेषन तथा प्रमाणित बीज हरियाणा बीज विकास निगम को हरियाणा राज्य के किसानों को वितरित करने के लिए दे देती है।

कृषि विभाग,हरियाणा द्वारा निगम को स्थानांतरित किये गये राजकीय बीज फार्म

हरियाणा सरकार ने अप्रैल 1998 में 23 राजकीय बीज फार्म जिनका कुल क्षेत्रफल 1092 एकड 06 कनाल है, कृषि विभाग हरियाणा द्वारा निगम को सीधी जोत व लीज के लिए स्थानांतरित किया है। इन फार्मो पर निगम द्वारा उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। ये फार्म 25 वर्श के लिए पटटे पर 1000रू0 प्रति एकड़ तथा 10प्रतिषत बढौतरी प्रत्येक 5 वर्श के हिसाब से स्थानांतरित किये गये। वर्श 2003 में हरियाणा सरकार ने कोहलावास फार्म की 41 एकड 2 कनाल 6 मरला भूमि कृषि विष्वविद्यालय, हिसार को कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए स्थानांतरित कर दी है। वर्श 2005 मे नटार फार्म जिला–सिरसा की 26 एकड 4 कनाल 13 मरला भूमि कृषि विष्वविद्यालय, हिसार को स्थानांतरित कर दी गई। वर्श 2007–08 में निगम ने कृषि विभाग को 4 फार्म जिनका क्षेत्रफल 134 एकड 6 कनाल 17 मरला है, कृषि विभाग, हरियाणा को स्थानांतरित कर दिया गया। इन चार फार्मो जिनका नाम–कोहलावास जिला–भिवानी जिसका क्षेत्रफल 61 एकड 1 कनाल 2 मरला है , रामपुरा फार्म जो जिला रेवाडी में है, इसका क्षेत्रफल

22 एकड 6 कनाल 11 मरला है, सरूरपुर फार्म जिला–फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 24 एकड 7 कनाल 19 मरला है, तथा नांवा फार्म, जो जिला महेन्द्रगढ मे है जिसका क्षेत्रफल 25 एकड 7 कनाल 5 मरला है, कृशि विभाग हरियाणा को स्थानांतरित कर दिया है। इन फार्मो का कुल क्षेत्रफल 202 एकड 5 कनाल 16 मरला है, जो निगम के पास अब नही है। यदि 202 एकड 5 कनाल 16 मरला भूमि का क्षेत्र 1092 एकड 6 कनाल भूमि मे से कम कर दिया जाये तो इस समय निगम के पास 890 एकड 0 कनाल 4 मरला भूमि का क्षेत्रफल है, जो निगम के पास है जो कि 18 फार्मो पर विभिन्न स्थानों पर उपस्थित है। इन 18 फार्मों मे से 6 फार्मों पर जिनके नाम जी0ए0एस0 हांसी, बी0एस0एफ0, हांसी, समरगोपालपुर, गूगाहेडी, फतेहपुर तथा पुण्डरी फार्म जिनका कुल क्षेत्रफल 597 एकड 4 कनाल 9 मरला है जिन पर निगम द्वारा 1998 से ही उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन एचएसडीसी के सीड प्रोडक्षन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। बाकी के 12 फार्म जिनका क्षेत्रफल 292 एकड 3 कनाल 15 मरला है, पर निगम द्वारा 2007–08 में हेफेड के पैटरन पर कन्ट्रैक्ट फार्मिग द्वारा बीज उत्तपादन का कार्य षुरू कर दिया गया है। जिसमें प्राईवेट कल्टीवेटर जिनसे निगम द्वारा सालाना किराया भी लिया जाता है, हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम के माध्यम से एच0एस0डी0सी0के कन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के रूप मे बीज प्रोग्राम अपनाया जाता है। निगम द्वारा इन फार्मो की बिजाई के लिए बीज उपलब्ध कराया जाता है तथा निगम के अनुभवी अधिकारियों की देखरेख में उन्नत किस्म के फसलों का बीज उत्तपादन किया जाता है। यदि फसलों पर कोई बीमारी का प्रकोप होता है तो उन पर कीटनाषक व खरपतवार नाषक दवाईयों का स्प्रे निगम के अनुभवी अधिकारियों की देखरेख मे किया जाता है।एचएसडीसी के द्वारा निर्धारित बीज उत्तपादन कार्य एचएलआरडीसी के नाम पर होगा। बीज उत्पादक निगम द्वारा निर्धारित षर्तों के अनुसार बीजो का उत्तपादन करेगा तथा उत्पादन किया गया बीज एचएलआरडीसी के माध्यम से एचएसडीसी को देना होगा जिसके बदले मे निगम संबंधित बीज उत्पादित किसान को सरकार द्वारा निर्धारित फसल मूल्य से 10 प्रतिषत अधिक कीमत देगा। इस तरह निगम द्वारा 12 फार्मो पर जिनका क्षेत्रफल 292 एकड 3 कनाल 15 मरला है, पर कन्ट्रैक्ट फार्मिग के माध्यम से बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

हरियाणा ओपरेषनल पाईलेट प्रोजैक्ट योजना।

हरियाणा ओपरेषनल पाईलेट प्रोजैक्ट योजना के अधीन सब सर्फेस ड्रेनेज के माध्यम से निगम द्वारा क्षारीय भूमि को कृशि योग्य बनाया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत कलायत, च0 दादरी तथा रोडी मे लगभग 1345 हैक्टेयर भूमि का सुधार कर दिया गया है और षीघ्र ही दडबाकला में भी यह कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा निगम ने हरियाणा प्रदेष के किसानों को षुद्ध एचएसडी व पैट्रोल उपलब्ध कराने के लिए नारायणगढ व पानीपत मे पैट्रोल पम्पों की स्थापना की है तथा हिसार और नारायणगढ मे गैस की एजेंन्सियां ली है जिससे निगम की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और इसके साथ–2 किसानो व आम लोगों को भी लाभ पहुचेगा। नारायणगढ मे सोपिंग सेन्टर की स्थापना की गई है जिससे कृशकों को सुपर–सिंगल विन्डो सिस्टम के तहत सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय स्थिति

निगम की पेड अप कैपीटल 156.30 लाख रू0 है। निगम लगातार वर्श दर वर्श लाभ अर्जित कर रही है। पिछले 4 वर्शो में निवल लाभ की स्थिति निम्न तालिका मे दर्षाई गई हैः–

वर्श	लाभ(लाखों में)
2003–04	5.35
2004–05	13.37
2005–06	23.72
2006ʹ07	66.47

2006–07 मे निगम का संचित लाभ 31.3.2007 तक 794.52लाख रू0 रहा।

निगम की स्थापना ;म्जंइसपेीउमदजद्ध

निगम के सभी कार्य तथा प्रबंध इत्यादि निगम के निदेषक मण्डल द्वारा निगम के प्रबंध निदेषक, जो निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, के माध्यम से किये जाते हैं। निगम का संगठन 2 क्षेत्रीय प्रबधंक, करनाल तथा हिसार मे बांटा गया है।

कुल 9 प्रबंधकीय कार्यालय इन 2 क्षेत्रीय प्रबंधकों के अधीन कार्य करते हैं। इस समय निगम मे 27 अधिकारियों समेत कर्मचारियों की संख्या 202 है। सचिव, मुख्य तकनीकी अधिकारी व मुख्य लेखा अधिकारी निगम के मुख्य अधिकारी हैं।